पत्रांक–भवन / मु0अ0(प0)यो0प्रक–1–27 / 2025 329(भ) / पटना, दिनांक– 22/1/26

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– बिहार भवन, मुम्बई के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹314,20,59,000.00(तीन सौ चौदह करोड़ बीस लाख उनसठ हजार रूपये)मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–7507(भ) अनु0, दिनांक–11.08.2025 से प्राप्त प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरुपण), भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा दिनांक–05.08.2025 को प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु कुल **₹314,20,59,000.00(तीन सौ चौदह करोड़ बीस लाख उनसठ हजार रूपये)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि "मांग संख्या–03 के मुख्यशीर्ष–4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–सरकारी रिहायसी भवन–लघु शीर्ष–700–अन्य आवास उपशीर्ष–0101–अन्य आवास–विपत्र कोड–**03–4216017000101** के विषयशीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य" के अर्न्तगत विकलनीय होगा।

3. विषयायंकित कार्य हेतु स्वीकृत राशि का व्यय निम्न प्रकार से किया जायेगाः–
   (i) वित्तीय वर्ष **2025–26–₹96.00** करोड़, (ii) वित्तीय वर्ष **2026–27–₹100.00** करोड़
   (iii) वित्तीय वर्ष **2027–28–₹100.00** करोड़, (iv) वित्तीय वर्ष **2028–29–₹24.2059** करोड़

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष **2025–26** में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा। यह मात्र प्रशासनिक स्वीकृति है। विषयांकित कार्य हेतु आवंटन के साथ निर्गत व्ययादेश के उपरांत हीं राशि की निकासी की जा सकेगी।

5. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, **कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–2, पटना** होंगे।

6. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि के व्यय के पूर्व एजेंसी द्वारा इस कार्य के संबंध में संतुष्ट होकर नियमानुसार भुगतान करेंगे।

7. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा सं0सं0–भ0 / मु0अ0(प0)यो0प्राक्–1–27 / 25 के पृष्ठ–14 / टि0 पर दिनांक–13.01.2026 को प्रदान की गयी है। जो संकल्प ज्ञापांक–726(भ) दिनांक–21.01.2026 द्वारा अधिसूचित है।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–भ0 / मु0अ0(प0)यो0प्राक्–1–27 / 25 के पृष्ठ–16 / टि0 पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र सं0–7355 वि0(2) दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 329 (भ) पटना, दिनांक– 22/1/26

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 329 (भ) पटना, दिनांक– 22/1/26

प्रतिलिपि–सरकार के अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता(संरचना) / निरूपण उपभाग / निदेशक अनुश्रवण / अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक / अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना / उप निदेशक–1 एवं 2 अनुश्रवण / कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–2, पटना / बजट पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

D:\Raj_25-26\Head-4216\A.A.docx16